UPPG180008062022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)कुण्डा, प्रतापगढ़।

मूल वाद संख्याः 441/2022

संजय कुमार बनाम राधेलाल

01.07.2022

वाद प्रस्तुत हुआ। सुना। मुंसरिम आख्या के अनुसार कैबियट दाखिल नहीं है। वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वादी, प्रतिवादी पर तामीला हेतु पैरवी उभय प्रकार से अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को वास्ते लिखित कथन एवं दिनांक 16.08.2022 को तनकीह पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

प्रार्थनापत्र 7 ग 2

प्रार्थना पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जा०दी० मय शपथपत्र 8 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में सूची सबूत 10 ग 1 से दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णायक विधि राम रामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी 2001(8) एस०सी०सी० पेज 249 तथा मारिया मारगेडिया सिकेरिया फर्नाडिज व अन्य बनाम इरास्मो जेक डी सिकेरिया व अन्य 2012(92)ए०एल०आर० 251 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एकपक्षीय अन्तरिम व्यादेश आवश्यक व अपवादित परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्य एवं विधि व्यवस्था को दृष्टिगत् रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिवादी को सुना जाना तथा स्थलीय आख्या का अवलोकन करना आवश्यक है।

अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग 2 दिनांक 16.07.2022 को पेश हो। पैरवी अन्दर तीन दिवस की जावे।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 9 ग 2</u>

प्रार्थना पत्र 9 ग 2 आदेश 26 नियम 9 जा०दी० कमीशन कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। सुना। अवलोकन किया। कमीशन हेतु आधार पर्याप्त है, स्वीकृत। कमीशन हेतु पैरवी अन्दर सप्ताह हो। पैरवी उपरान्त न्यायालय अमीन को परवाना जारी हो। उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सूचित कर मौके पर जाए तथा नियमानुसार कमीशन कार्य सम्पादित कर अपनी आख्या मय पैमाना, नक्शा एवं चौहद्दी नियत तिथि तक दाखिल करे।

सिविल जज (जू०डि०),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by Kisa Zaheer
Date: 2022.07.01 14:48:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court